

खबर संक्षेप

गेहूं व्यापारी स्टॉक की करें ऑनलाइन घोषणा

कटनी। कृषि उपज मंडी में पंजीकृत व्यापारी एवं खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकृत गेहूं के व्यापारियों द्वारा भारत सरकार की जारी अधिसूचना अनुसार स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा किया जाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहित अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि थोक व्यापारी एवं विक्रेता के लिए गेहूं के स्टॉक की सीमा 250 मेट्रिक टन, रिटेलर के लिए 4 मेट्रिक टन और बिग चैन रिटेलर के लिए भी 4 मेट्रिक टन प्रति आउटलेट तथा प्रोसेसर के लिए स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत मात्रा की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधीन पंजीकृत एवं गेहूं के स्टॉक का कारोबार करने वाले समस्त खाद्य कारोबारकर्ता को निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन कर गेहूं स्टॉक संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी नियमित रूप से स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा करना अनिवार्य है। इस संबंध में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त पंजीकृत एफएसएसआई लाइसेंस व पंजीयन प्राप्त समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया है।

आवास प्लस सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक

कटनी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये (2024-25 से 2028-29) मंजूरी प्रदान की गई। उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवास प्लस 2024 सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। संदर्भित पत्रों के माध्यम से उक्त सर्वे कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करायें जाने के निर्देश दिये गये थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास प्लस 2024 सर्वे की समय सीमा को एक महीने के लिये बढ़ा कर 30 अप्रैल 2025 की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिशिर गेमावत द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय-सीमा में पात्र परिवारों का सर्वे कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सर्वे से कोई भी पंचायत, ग्राम, टोला, मजरा आदि न छूटे एवं समस्त पात्र परिवारों का सर्वे सूची में नाम दर्ज हो।

तुअर फसल के पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक

कटनी। शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की ग्राइस सपोर्ट स्क्रीम के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में ई-उपार्जन पोर्टल पर 25 मार्च 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक तुअर का पंजीयन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर तुअर की उपार्जन नीति के अनुसार समर्थन मूल्य रूपरेखा 7550 प्रति क्विंटल पर तुअर का उपार्जन 10 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 की अवधि में किया जाएगा। तुअर फसल का पंजीयन 20 अप्रैल 2025 तक निर्धारित पंजीयन केन्द्रों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषक एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र, सायबर कैफे एवं स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से निर्धारित लिंक पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव एवं उप संचालक कृषि द्वारा किसानों से अपील की गई है कि किसान नियत समय अवधि में अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपज का पंजीयन करवाकर योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्रमिकों का पंजीयन अभियान 17 अप्रैल तक

कटनी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ गिग एवं अन्य प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे कि स्विगी, उबर, ओला, एमजेनो, जेमेटो, ब्लिंक कामर्स, ई- कॉम, अंकल डिलेवरी एक्सप्रेस, आदि के लिये कार्यरत श्रमिकों के ग्राम पोर्टल पर पंजीयन के लिए 17 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है।

विजयराघवगढ़ तहसील क्षेत्र में नियमों को धता बताकर भाजपा नेता का चल रहा क्रशर प्लांट

क्रशर प्लांट में नियम दरकिनार, धूल डस्ट लोगों को बना रही बीमार, अधिकारियों को नहीं कोई सरोकार

हरिभूमि न्यूज | कटनी

विजयराघवगढ़ तहसील क्षेत्र के कैमोर मैहर मार्ग में स्थित भाजपा नेता के क्रशर प्लांट में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्रशर प्लांट संचालन के नियम हैं कि इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बकायदा नियमों की लंबी फेहरिस्त बनाई गई है लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। क्रशर प्लांट स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्रेशरो से उड़ती हुई धूल बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। स्टोन क्रेशर से निकलने वाली धूल की वजह से खेतों में लगी फसल के उत्पादन में दिनों दिन कमी आ रही है। क्रेशर प्लांट से निकलती हुई धूल क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए बीमारियां परोस रही है तो वही नागरिकों को टीबी दमा, श्वास, चर्म रोग एवं अन्य बीमारियां उत्पन्न हो रही है। क्रेशर संचालकों के द्वारा समय-समय पर ना तो पानी का छिड़काव करवाया जाता है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह किसी तरह का कैंप



लागकर लोगों की जांच की जा रही है जिससे लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके। प्लांट में नियमों का पालन नहीं हो रहा है फिर भी यह क्रेशर अफसरों के आशीर्वाद से चल रहा है। आसपास के रहवासी क्षेत्र के लोग प्रदूषण से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन क्रेशर संचालक अपनी रही है। क्रेशर संचालकों के द्वारा समय-समय पर ना तो पानी का छिड़काव करवाया जाता है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह किसी तरह का कैंप

क्रेशर संचालकों द्वारा लाइसेंस लेने के लिए नियम का पालन करने की लिखित अनुमति दी जाती है, इसके बावजूद नियमों की खुलेआम धजियां उड़ाई जा रही हैं। संचालक शासन की ओर से निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी सजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ग्रामीणों ने क्रेशर से उड़ रही धूल को बंद कराने प्रशासन से मांग की है।

तो निरस्त हो जाएगी अनुमति

स्टोन क्रशर संचालित करने के लिए

पर्यावरण विभाग अपनी सम्मति देता है और क्रशर संचालक इन शर्तों को मानने के लिए अपनी सहमति देता है एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी की गई सम्मति में इस बात का उल्लेख रहता है कि यदि पर्यावरण विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का संचालक पालन नहीं करता है तो सम्मति/अनुमति स्वयं निरस्त मानी जाएगी।

व्यवस्थापिका बहुत निष्कर्ष के बाद नियम बनाती है जिसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है लेकिन कार्यपालिका वाले चुप क्यों हैं पता नहीं। सरकार को पता है कि धूल के कण मानव जीवन एवं वन्य जीवों के लिए खतरनाक है। बहुत कठिन नियम नहीं है लेकिन सफेदपोश संचालक नियमों को धता बताकर क्रेशर का संचालन कर रहे हैं। वार्षिक निरीक्षण में अधिकारी क्या निरीक्षण करते हैं समझ से परे है। नियमों की अवहेलना करके भाजपा नेता क्रेशर प्लांट का संचालन कर रहा है, आमजन एवं आवागमन करने वाले नागरिक परेशान हैं।

प्लांट संचालन के नियम

- 1 - सड़क से 100 मीटर दूरी पर स्टोन क्रशर स्थापित होगा।
- 2 - क्रशर प्लांट परिसर के मध्य में स्थापित होगा।
- 3 - प्लांट के चारों तरफ कम से कम 15 फिट की ऊंची दिवाल का निर्माण किया जाएगा अब ऊंचाई 25 फीट कर दी गई है।
- 4 - 15 फिट ऊंची दिवाल के अंदर अधिकतम 13 फीट ऊंचाई पर कच्चे का भंडारण होगा।
- 5 - अगर 13 फीट ऊंचाई से अधिक खनिज का भंडारण होना है तो प्रत्येक एक फिट माल की ऊंचाई के विपरीत दिवाल की ऊंचाई 2 फिट तक बढ़ाई जाएगी।
- 6 - धूल कणों को रोकने के लिए डस्ट एक्सपैक्टर्स और वाटर स्प्रीकल्स विधि अपनाई जाएगी।
- 7 - प्लांट परिसर में पानी का छिड़काव किया जाएगा।
- 8 - ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्टोन क्रेशिंग संयंत्र को बंद दिवाल वाले चैंबर में स्थापित किया जाएगा।
- 9 - प्लांट परिसर के सभी मार्ग एवं मुख्य सड़क से जुड़ने वाले मार्ग पक्के रहेंगे।
- 10 - प्लांट परिसर के अंदर 7 से 10 मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल कण रोकने वाली पेड़ों की हरित पट्टी का विकास किया जाएगा।

एफपीओ के संचालन के लिए बनाई जाए एक कार्ययोजना

हरिभूमि न्यूज | कटनी

जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत की अध्यक्षता में उपसंचालक कृषि विभाग, नाबार्ड, सहकारिता विभाग एवं किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष के साथ वाटरशेड योजना के माध्यम से गठित एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग के उपसंचालक मनीष मिश्रा ने एफपीओ द्वारा ली जा सकने वाली गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत कराया एवं नाबार्ड के जिला अधिकारी विकास जैन द्वारा नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं की

जिला सीईओ ने की वाटरशेड योजना के एफपीओ की समीक्षा कर दिये निर्देश



जानकारी प्रदाय की गई समुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गेमावत द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए की वाटरशेड से गठित कृषक उत्पादक संगठन के सफल संचालन हेतु एक कार्य योजना बनाई जाय। जिससे कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े कृषकों को अधिक से अधिक

लाभ प्राप्त हो सके एवं उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ अधिक स्तर में भी बढ़ोतरी हो। कृषक उत्पाद संगठन के अध्यक्ष बंदी प्रसाद ने अवगत कराया की एफपीओ में वाटर शेड परियोजना क्षेत्र में 300 से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है एवं और अधिक

किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है स ई-ऑफिस का प्रशिक्षण

जिला पंचायत कार्यालय में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन हेतु समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरत हैड्सआन हेतु ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई-सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन कर नई फाइल बनाया जाकर उसमें नोटिफिकेट के येलो नोट, जिन नोट एवं ड्राफ्ट बनाकर कुछ फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से मूव कराया जाकर प्रक्रिया में लिया गया। ई-ऑफिस की इन नस्तियों का जिला पंचायत सीईओ ने अवलोकन कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को अग्रोपित किया।

कलेक्टर ने कटनी जिले को जल अभाव गस्त क्षेत्र किया घोषित

हरिभूमि न्यूज | कटनी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में जिले के सभी विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई या आगामी आदेश तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।

कलेक्टर श्री यादव ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर संपूर्ण जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों

पुस्तक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा



साधुराम स्कूल परिसर में आयोजित पुस्तक मेला में गत शाम खरीददारों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां मेला में एक ही स्थान पर छात्रों और अभिभावकों को गणवेश, स्कूल बैग और पुस्तक और क्राफियां एवं स्टेशनरी वाजिब कीमत पर मिल रही है। पुस्तक मेला 12 अप्रैल तक निरंतर दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक लगेगा। यहां हर शाम विविध शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां प्रदर्शित की जायेंगी। मेला स्थल में बने मुक्ताकाशीय मंच पर सी एम राजू स्कूल के छात्रों द्वारा वाद्ययंत्रों के साथ प्रस्तुत स्वागत गीत और रामधुन ने समा बांध दिया। छात्रों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया।

जलस्रोतों से घरेलू प्रयोजन को छोड़ दोहन करने पर की जाएगी कार्यवाही

में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजनों के लिए नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का दोहन किन्हीं भी साधनों द्वारा जल उपयोग नहीं करेगा। जिले के समस्त विकासखंडों एवं नगरीय व शहरी क्षेत्रों में समस्त नदी, नालों, स्टपडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्रोतों का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया गया है।

नलकूप निर्माण पर रोक

जिले के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राइवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की पूर्व अनुमति

प्राप्त किये बिना, किसी भी प्रयोजन के लिए नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कर सकेगा। लेकिन यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। निजी भूमि पर नलकूप खनन कराने हेतु निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देना होगा।

इस कार्य हेतु कलेक्टर श्री यादव ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही कर अनुमति हेतु संबंधित

क्षेत्र के सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जनहित में उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्रोत को पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अधीन निश्चित अवधि के लिए अधिग्रहण कर सकेंगे। जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-9 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

रीठी के बड़गांव में हुआ लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम

कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल, ग्रामीणों ने बताई समस्याएं

हरिभूमि न्यूज | कटनी

ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से लाभांशित करने तथा उनके गांव में पहुंचकर समस्याओं से रू-बर-रू होकर उनके निराकरण की सहायक पहल करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव बुधवार को रीठी के बड़गांव में आयोजित लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। मैदानी समस्याओं और व्यक्तिगत शिकायतों को खुले चौपाल के रूप में आयोजित लोक सुनवाई सह जनसंवाद में कलेक्टर ने 84 ग्रामीणों का दुःख-दर्द सुना और अधिकारियों को निराकरण के जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत, एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा सहित जिला अधिकारियों को मौजूदगी रही। कलेक्टर श्री यादव ने यहां समस्या के निराकरण की आस में पहुंचे हर व्यक्ति



की समस्या को बड़े धैर्य के साथ सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिये। लोक सुनवाई सह जनसंवाद के दौरान सोनू लोधी पिता शिवराजी लोधी निवासी बड़गांव ने अपनी भूमि की बही (ऋण पुस्तिका) बनवाने के लिए कई दिनों से तहसील कार्यालय के चक्कर लगाए की जानकारी कलेक्टर दिलीप

कुमार यादव को दी। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने तत्काल मौके पर ही बही पुस्तिका बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वयं सोनू लोधी को अपने हाथों से बही पुस्तिका की प्रति प्रदान की। ग्राम धरमपुर ग्राम पंचायत टुठरी निवासी रोशनी कुशवाहा ने कलेक्टर को दिये आवेदन के माध्यम से बताया कि मेरा विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत 6 मार्च को हुआ था परंतु अभी तक

मुझे शासन द्वारा मिलने वाली राशि एवं विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिससे ससुराल के दस्तावेजों में मेरा नाम नहीं जुड़ पा रहा है। जिस पर कलेक्टर श्री यादव ने सीईओ जनपद को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

अतिथि शिक्षक भर्ती की जांच कराये

लोकसुनवाई के दौरान इस्तयाक खान, गुलाब पटेल, गोरलाल यादव, अर्जुन कुमार लोधी एवं अन्य आवेदकों ने जांच की मांग करते हुए कलेक्टर श्री यादव को बताया कि बड़गांव शिकुल अंतर्गत प्राथमिक शाला शांतिनगर में आवश्यकता से 1 अधिक अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई। वहीं प्राथमिक शाला गंगानगर में आवश्यकता होने पर भी अतिथि शिक्षक नहीं रखा गया। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने डीईओ को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने किया 4 निजी स्कूलों को औचक निरीक्षण

सेक्रेड हार्ट स्कूल में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें चलाये जाने की शिकायत

हरिभूमि न्यूज | कटनी

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच दल ने बुधवार को कटनी शहर के 4 प्राइवेट स्कूलों का औचक निरीक्षण कर स्कूल में संचालित पुस्तकों, फीस स्ट्रक्चर आदि के सूचना पटल में चरमा होने के कार्य का सत्यापन किया। स्कूलों में पहुंचे जांच दल को देखकर हड़कंप मच गया।

कलेक्टर श्री यादव को साधुराम स्कूल परिसर स्थित आयोजित पुस्तक मेला में सेक्रेड हार्ट स्कूल के एक अभिभावक द्वारा कक्षा 4 एवं कक्षा 7 की कुछ पुस्तकों के निजी प्रकाशकों की पुस्तकें चलाई जाने की सूचना दी गई और कहा गया कि निजी प्रकाशकों की इन पुस्तकों की कीमतें बहुत ही ज्यादा है। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने वस्तुस्थिति की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जिसमें तहसीलदार कटनी ग्रामीण

अजोत तिवारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धनश्री जैन व सहायक संचालक शिक्षा राजेश अग्रहरी और प्रभारी अधिकारी विवेक दुबे जांच दल में शामिल रहे। जांच दल ने वेल् वेदर इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फसरस्टेप एकेडमी एवं सेक्रेड हार्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी की जांच दल ने जांच की। इन स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। इन स्कूलों में पहुंचे जांच दल द्वारा यहां के छात्रों, पालकों एवं अभिभावकों से भी चर्चा कर जानकारी का सत्यापन किया गया। समिति ने गणवेश, फीस स्ट्रक्चर व पुस्तकों के विवरण को सूचना पटल पर चरमा होने की भी जानकारी का सत्यापन किया। समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जल्द ही कलेक्टर श्री यादव को जांच प्रतिवेदन सौंपा जायेगा।

खबर संक्षेप



आधार केंद्र में नेटवर्क की समस्या से बड़ी परेशानी

ब रही। नगर के न्यू बस स्टैंड में संचालित आधार सेंटर में काफी दिनों से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है जिसके चलते आज दिनांक तक आधार सेंटर ओपन नहीं हो पा रहा है। टैकिनकल टीम ध्यान नहीं दे रही है। महिला कर्मचारी को आधार मशीन चालू करने के लिए 3 किलोमीटर दूर तहसील में जाकर चालू करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। महिला कर्मचारी नीतू चौधरी अपने बच्चों को लेकर यहां से वहां भटक रही हैं। टैकिनकल टीम इस समस्या पर शीघ्र ध्यान देने की मांग की गई है जिससे आधार सेंटर में काम सुचारू रूप से चालू हो सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कटनी आगमन आज

कटनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का कटनी आगमन आज गुरुवार 10 अप्रैल को हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बहोरीबंद में विधानसभा स्तरीय सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में शामिल होकर कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टपडन ने बताया कि सम्मेलन 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष कटनी पहुंचेंगे। कटनी के ग्राम घघरीकला में गांव बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत जनसम्मर्क करेंगे। यहां से प्रदेशध्यक्ष श्री शर्मा दोपहर 3 बजे विधायक संदीप जायसवाल के निवास पर विधायक जायसवाल की दिवंगत मातुश्री श्रीमती सरोज जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 3.30 बजे सांसद भाजपा जिला कार्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 3.45 बजे वे बहोरीबंद के लिए प्रस्थान करेंगे। सायं 4.15 बजे स्तलीमानबाद के शिव मैरिज गार्डन, बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रमों सम्मेलन में सांसद वीडी शर्मा शामिल होंगे। इस सम्मेलन में विधानसभा के सदस्यों सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी।

नवरात्रि के समापन में जवारों का निकला जुलूस

गनियारी। ग्राम अंतरवेद गनियारी स्थित चार मंदिरों में चैत्र नवरात्रि पर पर्व पर गत दिवस जवारों का विसर्जन किया गया। सिंह वाहिनी बिजौरा मंदिर में 32 कलश, तालाब पर विराजमान कलेही मंदिर में 56 कलश, चकवा दिवाले मंदिर में 35 कलश, आदिवासी मोहल्ले में 25 कलश बोल गए थे। ग्राम अंतर्वेद गनियारी में जवारों को विसर्जित करने के लिए निकाले गए जुलूस में महिलाएं अपने सिर पर जवार लेकर चल रही थीं। जगह जगह भक्तों द्वारा पूजन अर्चना की गई। जवार विसर्जन का सिलसिला शाम चार बजे से रात्री तक चलता रहा है। कसाव बस्ती ग्राम अंतर्वेद में 148 कलश जवारों का विसर्जन तालाब में किया गया। चल समारोह में पंडा से भाव खेलते हुए चल रहे थे वहीं भक्तों ने बाना लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

नरवाई जलाने पर माधवनगर थाना में दर्ज हुई एफआईआर

कटनी। जिले में फसल अवशेष नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा दिये गये निर्देश के बाद बुधवार को पहाड़ी निवासी मनोज सिंह के विरुद्ध माधवनगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। हलका पटवारी पंकज विश्वकर्मा ने पुलिस को दिये प्रतिवेदन, पंचनामा के माध्यम से अवगत कराया कि खसरा नंबर 160/3 में मनोज सिंह पिता विजय सिंह निवासी पहाड़ी ने नरवाई जलाकर कलेक्टर श्री यादव द्वारा नरवाई में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया है। प्राथमिकी में नरवाई जलाने से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों और संभावित आग्नि दुर्घटनाओं को संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। जिले में विरुद्ध दर्ज की गई यह अब तक चौथी प्राथमिकी है। इस प्रकार अब तक नरवाई जलाने वाले 6 किसानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है।

चाका बायपास के समीप धधकी आग ने लिया विकराल रूप, 5 दमकल वाहन जूझते रहे

भीषण आग की चपेट में आने से 3 कच्चे मकान जलकर हो गए स्वाहा



हरिभूमि न्यूज कटनी

जंगल में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि गरीबों के कच्चे मकानों को जलाकर राख कर दिया। घर के अंदर रखी गृहस्थी की सामग्री भी स्वाहा हो गई। यह अग्नि हादसा कुठला थाना अंतर्गत चाका बाईपास के जंगल का है। भीषण आग लगने से तीन परिवारों के मकान जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही जिस वक्त मकानों में

आग लगी परिवार के लोग खेती-किसानी बागवानी और मजदूरी के काम से गए हुए थे। बताया जा रहा है कि पास के जंगल से फैली आग धीरे धीरे गरीबों के कच्चे मकानों तक पहुंची। लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही आग ने तीन मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। चाका बायपास के जंगल में लगभग 45 ग्रामीण परिवारों की बस्ती है जहां छानोदार कच्ची मकान बने हैं। यह छानियां जंगल की भूमि के बीच में बनाई गई हैं।



हरिभूमि न्यूज कटनी

जानकारी के अनुसार कुठला थाना के वन क्षेत्र के जंगल में रात में लगी आग ने बुधवार को विकराल रूप धारण कर लिया तथा आग ने आगोश में तीन मकान को भी ले लिया। उधर आग लगने की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय निवासी मौके पर एकत्रित होकर आग को बुझाने का प्रयास करते रहे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी दमकल को दी गई लेकिन जब तक आग पर काबू पाते

तब तक प्रभावित परिवारों के घरों में रखी खाद्य सामग्री कपड़े बर्तन व अन्य सामग्री आदि जलकर राख हो गया। जंगल की आग बुझाने पांच गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद रही जो आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही। घटना में तीनों परिवारों की छानी और उसमें रखा घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बेघर हुए परिवारों ने शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है।

सम्मेलन बुलाकर बजट पर चर्चा करने की गई मांग

हरिभूमि न्यूज कटनी

वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन द्वारा नगर निगम में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने का आरोप लगाया है। मिथलेश जैन द्वारा कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत आगामी वर्ष हेतु आमदनी व व्ययों का लेखा-जोखा अर्थात् बजट को नगर निगम आयुक्त द्वारा 30 नवम्बर को या उसके पूर्व तैयार कर दिया जाना चाहिए और उसे मेयर इन काँसिल में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। नगर निगम अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि मेयर इन काँसिल द्वारा 30 नवम्बर के दिन या यथासंभव उसके शीघ्र पश्चात् आयुक्त द्वारा तैयार बजट प्रस्ताव पर चर्चा करके उसे 15 जनवरी के पूर्व निगम परिषद में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

माच 2025 को समाप्त हो चुका है तथा एक अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो चुका है लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद भी बजट पर मेयर इन काँसिल द्वारा न तो चर्चा क गई है और न ही कोई निर्णय लिया गया है, इसके कारण पिछले एक सप्ताह से नगर निगम में वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।

दो माह में होना चाहिए सम्मेलन

श्री मिथलेश जैन ने कहा है कि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार निगम सम्मेलन प्रत्येक दो माह में आवश्यक रूप से होना चाहिए तथा पिछला सम्मेलन दिनांक 17-01-2025 को हुआ था। उसके लग. 3 माह व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अभी तक नगर निगम सम्मेलन बुलाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि नगर निगम का ध्यान वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार विकास करने में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण जनता के विकास कार्य प्रारंभित हो रहे हैं।

मिथलेश जैन ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि अविर्लंब निगम सम्मेलन बुलाकर बजट पर चर्चा की जावे।

मौर्य कुशवाहा समाज कल्याण समिति एवं ओबीसी महासभा के तत्वाधान में मनाई जयंती

हरिभूमि न्यूज कटनी

मौर्य कुशवाहा समाज कल्याण समिति एवं ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में सम्राट अशोक महान जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बाइक रैली गुलमोहर गार्डन नदी पार से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए, अंबेडकर पार्क एन के जे पहुंची, रैली में मनमोहक झांकी भी निकाली गई। अंबेडकर पार्क में सम्राट अशोक स्तंभ पर पुष्पवर्षा की गई तत्पश्चात् संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रैली का समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में सामाजिक जन, युवा व महिलाओं की उपस्थिति रही। संबोधन में उपस्थित वक्ताओं

सम्राट अशोक की जयंती पर निकाली गई रैली, वक्ताओं ने जीवन पर डाला प्रकाश



ने सम्राट अशोक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सम्राट अशोक महान ऐसे राजा थे जिनके राज में किसी का शोषण नहीं होता था, मित्रता परोसी तो उन्होंने पुनः दुनिया को प्रेम के दम पर जीत लिया तब सम्राट अशोक महान के नाम से जाना जाने लगे। सम्राट अशोक महान ने अपने शासन काल में

हजारों स्तंभ स्थापित किये जिसमें चारों दिशाओं की ओर मुंह किये हुए शेर दिखाई पड़ते हैं!

आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में, नोट पर एवं सेना पर सर्वोच्च सम्मान के लिए अशोक स्तंभ की स्मृति चिन्ह बनाया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है।

कार्यक्रम में एपी मौर्या जिलाध्यक्ष मौर्य कुशवाहा समाज, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष बी के पटेल, यदुवंदु यादव प्रदेशाध्यक्ष सोपा, ज्ञाती मौर्या जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा (महिला विंग) प्रदीप कुशवाहा प्रभारी ओबीसी महासभा, राम सरोवर कुशवाहा कार्यकारी जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा आदि की उपस्थिति रही।

निगमाध्यक्ष ने पीरबाबा में उर्स मेला स्थल का किया निरीक्षण



हजरत इन्न शाह चिरती पीरबाबा की दरगाह पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पीरबाबा उर्स कमेटी द्वारा उर्स का आयोजन जाएगा। 22 अप्रैल से मेला प्रारंभ होगा जिसमें परचम कुशाई, चादर शरीफ व मिलाद, गुसल शरीफ, कब्बाली आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। निगमाध्यक्ष मनीष पाठक ने मेला स्थल पहुंच कर तैयारियों का लिया जायजा। श्री पाठक ने निरीक्षण के दौरान उर्स कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों से की विस्तृत चर्चा की। खास बात यह है कि पीरबाबा मजार के सामने शिव जी, श्री राधा कृष्ण श्री हनुमानजी का विशाल मंदिर है। हिंदू-मुस्लिम मिलकर दोनों धार्मिक स्थल को शानशोक से सजाते आ रहे हैं। यही कारण है कि कटनी में कौमी एकता एक मिसाल के रूप में जानी जाती है। निगमाध्यक्ष मनीष पाठक ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर पीरबाबा उर्स कमेटी के पदाधिकारियों से कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी ली।

जिले में पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक चलेगा, अधिकारियों को सौंपा दायित्व

हरिभूमि न्यूज कटनी

जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किये गए पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक मनाया जायेगा। इसके तहत विभिन्न 15 विभागों के अधिकारियों के समन्वय से इसे संचालित करने के लिए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने विभागों के दायित्व तय कर दिये हैं। कलेक्टर ने जारी आदेश में जिला पंचायत, वन, नगर निगम, शिक्षा विभाग, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि, जनजातीय कार्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उद्यानिकी, आयुष, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, खेल, पीएचई, आजीविका मिशन और सर्वशिक्षा अभियान के जिला प्रमुख अधिकारियों को महिला बाल विकास से समन्वय के साथ राष्ट्रीय

पोषण पखवाड़ा का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समग्र रूप से बेहतर बनाने का सभी विभाग समन्वित प्रयास करें।

पोषण पखवाड़ा के दौरान पोषण आधारित विभिन्न कार्यक्रमों की योजनाओं को संचालित करने वाले सभी विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य स्टॉक होल्डर के साथ समन्वय से राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन जनआंदोलन के रूप में किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि पोषण पखवाड़ा

कार्यक्रम के तहत जिले की सभी 1713 आंगनबाड़ी केन्द्रों में मंगलवार को मंगल दिवस का आयोजन कर 3 हजार 265 गर्भवती माताओं की गोदभरई का कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। श्री सिंह ने बताया कि पोषण पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य केवल आंगनबाड़ी के 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तक सीमित नहीं रखा गया है। बल्कि सभी उम्र, सभी वर्ग के बच्चों, महिला, पुरुषों के लिए यह अभियान जरूरी है। सही पोषण सही स्वास्थ्य की थीम पर आयोजित पोषण पखवाड़ा के तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण जागरूकता रैलियों का आयोजन कर दीवार लेखन भी किया गया।

हिरवारा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब में की गई साफ सफाई

हरिभूमि न्यूज कटनी

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक वर्षा जल के संग्रहण एवं संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक डॉक्टर तेज सिंह केशवाल के मार्गदर्शन में ग्राम हिरवारा में जल संगोष्ठी, जागरूकता रैली का आयोजन किया जाकर सामूहिक श्रमदान कर तालाब की सफाई का कार्य किया गया।

कार्यक्रम के प्रथम चरण में आयोजित जल संगोष्ठी के दौरान आकासखंड समन्वयक बाल मुकुंद मिश्र द्वारा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उपस्थित जनो को अधिक से अधिक परिचित लोगों को वर्षा जल संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों

जल संगोष्ठी एवं जागरूकता रैली से दिया गया जल संरक्षण का संदेश



की संरक्षण हेतु जन भागीदारी व श्रमदान के माध्यम से सहयोग करने का आह्वान किया गया। तत्पश्चात् जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गों का भ्रमण करती हुई, हनुमान मंदिर परिसर में समाप्त हुई। जिसके माध्यम से जल संरक्षण संबंधी नारों का उद्घोष करते हुए ग्राम वासियों

को जल संरक्षण और संवर्धन हेतु जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में ग्राम हिरवारा के हनुमान मंदिर के पीछे तालाब के सामूहिक श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई की गई, और आगामी समय में जल स्रोतों तथा उनके आसपास किसी प्रकार का कचरा ना फेंकने और गंदगी ना करने का संकल्प दिलाया गया।

इस आयोजन के दौरान आनंद विभाग के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर अनिल कांबले, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अजय बर्मन, नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कटंगी कला के सेक्टर प्रभारी सतीशा तिवारी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हिरवारा के अध्यक्ष संतोष बर्मन, छात्र-छात्राओं रामजी मिश्रा, आशा बर्मन संगीता बर्मन कनकना बर्नजी मौजूद रहीं।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्यप्रदेश)
कमर्चांक 4970 /आर डी एम/2025
कटनी दिनांक- 02-4-2025

इशतहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवेदक श्री रामफल पटेल आ. श्री हेंतराम पटेल सांकेतिक वार्ड नं. 04 गाम बिस्तरा पोस्ट जोबीकला जिला कटनी को गाम बडवारा कला तहसील बडवारा मे खसरा नं. 27/3 में स्थित भूमि पर भू-आग एरिया 35x42 = 1347 वर्ग मीटर आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। अतः आवेदक कंपनी को उक्त कार्य के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में यदि किसी भी संस्था/व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इशतहार प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा उद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियम समयाधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अप्रर जिला मजिस्ट्रेट जिला - कटनी

कटनी एवं दमोह जिले के किसानों को दी गई जानकारी

आधुनिक कृषि तकनीक एवं नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला

हरिभूमि न्यूज कटनी

मानव जीवन विकास समिति कार्यकर्ता रामकिशोर चौधरी द्वारा बताया गया की समिति सभागार बिजौरी एक दिवसीय आधुनिक कृषि तकनीक एवं नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कटनी जिले के बड़वारा और दीमरखेड़ा ब्लॉक के कार्यकर्ता व किसान एवं दमोह जिले के तेंदूखेड़ा और जवेरा ब्लॉक के कार्यकर्ता व किसान कुल मिलकर 40 लोगों की उपस्थिति रही है।



आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग से किसानों की उत्पादन व आय में वृद्धि करना। उच्च उपज वाले और रोग-प्रतिरोधी बीजों का उपयोग फसल उत्पादन को बढ़ाता है।

और कीटों से बचाता है। आधुनिक सिंचाई तकनीकें, जैसे ड्रिप सिंचाई, पानी की बर्बादी को कम करती हैं और फसल उत्पादन में सुधार करती हैं।

नरवाई नहीं जलाए भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती है

इस अवसर पर उन्होंने किसानों को नरवाई प्रबंधन से होने वाले फायदों से भी अवगत कराया। किसानों को बताया गया कि नरवाई से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता

अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर 45 हजार का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज कटनी

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दही का नमूना अवमानक पाये जाने और कुकीज एवं तिल लड्डू का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर तीन संस्थानों के विक्रेता संचालकों के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खाद्य पदार्थ के अवमानक व मिथ्याछाप मिलने के इन तीन मामलों को मिलाकर कुल 45 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अधिरोपित कर दिया है। इसी प्रकार दो अन्य मामले में सुनवाई करते हुये न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती परस्ते ने आयुष ट्रेड्स इंद्राचोक उमरियापान से 30 दिसंबर 2021 को लिये गये ट्रेडिशनल कुकीज और तिल लड्डू में मिलावट होने का जांच प्रतिवेदन भोपाल प्रयोगशाला से प्राप्त होने के बाद प्रचलित प्रकरण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधान के तहत विक्रेता उकानादार आशीष चौरसिया निवासी वार्ड नंबर 2 उमरिया पान को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाये जाने के कारण 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया।

संचालक सपना सेल्स झुझेलाल मार्केट भर्तीपुर जबलपुर द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ शिवा गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने कार्यवाही करते हुए विक्रेता जेतानंद बलवानी के विरुद्ध 15 हजार रूपये का अर्थदंड



जिले भर में जैन समाज करेगी विविध आयोजन

भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती महोत्सव पर निकलेगी भव्य शोभायात्रा

हरिभूमि न्यूज | दमोह

विश्व शांति के लिए गणोकार मंत्र- मुनिश्री अभय सागर जी

परंपरा अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव के अवसर पर समाज के द्वारा भव्य शोभायात्रा 10 अप्रैल 2025 को निकाली जाएगी। शोभायात्रा सिटी नल से प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होकर पुराना थाना, बकोली चौराहा, घंटाघर, राय चौराहा होती हुई नर्सिया मंदिर जैन हाई स्कूल पहुंचेगी, जहां पर श्री जी का अभिषेक शांति धारा एवं आरती एवं पूजन संपन्न होगी।

उपरोक्त जानकारी भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के संयोजक महेश दिगंबर ने प्रदान करते हुए बताया कि नर्सिया मंदिर में अभिषेक एवं पूजन उपरांत पुनः शोभायात्रा राय चौराहा घंटाघर से घण्टा चौराहा चौधरी मंदिर बड़ा मंदिर से होती हुई सिटी नल पहुंचेगी। शोभा यात्रा के निर्देशन एवं व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जैन मिलन नगर शाखा प्रमुख को प्रदान की गई है। शोभायात्रा में ढोल नगाड़ा डीजे आदि के अलावा बड़ी संख्या में रथ पर श्रावक श्रेष्ठ आकर्षक वेशभूषा में सवार रहेंगे। शोभायात्रा में विभिन्न महिला मंडल को अपनी विशेष वेशभूषा में आमंत्रित किया गया है दमोह नगर के विभिन्न मंदिरों की समितियां जुलूस में झांकी के रूप में श्रीजी को पालना में झुलाकर अपने साथियों के साथ सम्मिलित होगी। शोभायात्रा के मार्ग को तोरण द्वारा बैनर झंडा आदि से आकर्षक ढंग से



पथरिया। निर्यापक मुनिश्री अभयसागर ने कहा कि जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र गणोकार मंत्र है। इस मंत्र को किसी ने नहीं बनाया, यह अनादि मंत्र है। यह ऐसा मंत्र है जिसके स्मरण से पाप कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये एक अचूक मंत्र है और इसकी साधना का फल अवश्य ही मिलता है। इस महा मंत्र के जपने से पूरे जीवन विपत्तियों नष्ट हो जाती हैं। यह मंगल प्रवचन 9 मार्च विश्व गणोकार महामंत्र दिवस सिद्धचक्र महामंडल विधान के अवसर पर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कहे। मुनिश्री ने कहा कि गणोकार मंत्र से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। जैन शास्त्रों में गणोकार मंत्र को पंच मंगल मंत्र, अपराजित मंत्र, मंत्र राज, नवकार मंत्र, मूल मंत्र, मंगल सूत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र सहित आदि नामों से जाना जाता रहा है। मुनिश्री चंद्रसागर ने कहा कि गणोकार महामंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। इस मंत्रों को जपने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं इस कारण उनमें पूज्यता आ जाती है। मुनि श्री ने कहा कि यह मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस मंत्र में संसार की ऐसी पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिन्होंने संसार के मोह जाल को छोड़ दिया और आत्मा साधना पर लग कर अपना और दूसरे जीवों का कल्याण करने में लग गए। वह आत्माएं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वर की हैं। इन पवित्र आत्माओं का चिंतन करने से अशुभ कर्म नष्ट हो जाते। पुण्य का संचय होता है वह पुण्य ही सुख देने वाला होता है। संसार के सारे सुख पुण्य से ही मिलते हैं गणोकार मंत्र का मर्मज्ञ बताते हुए मुनि श्री ने कहा कि वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वरों के साक्षात् दर्शन होते तथा अरिहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा का दर्शन होता है। मुनि श्री ने गणोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि गणोकार मंत्र 18432 प्रकार से बोल सकते हैं। इस मंत्र का सब से छोटा रूप ओम है जिसमें पांचो परमेश्वरों गणित है। गणोकार मंत्र में कुल 58 मात्राएं, 35 अक्षर, 34 स्वर, 30 व्यंजन और 5 पद हैं। आठ करोड़ आठ लाख आठ हजार आठ सौ आठ बार लगातार गणोकार मंत्र का जाप करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है कार्यक्रम विधान का संचालन वाणी भूषण संजीव भैया कटगी द्वारा किया गया। मुनिश्री अभयसागर के सानिध्य में महावीर स्वामी जयंती प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी जन्म जयंती सुबह आठ बजे श्रीजी की शोभा यात्रा निकाली जावेगी। रात्रिकालीन में आरती का आयोजन किया जाएगा।

सजाया जा रहा है घंटाघर पर भगवान महावीर की आदम कद स्टैचू के साथ विशेष रूप से सजाया गया है रात्रि में यहां विशेष लाइटिंग भी की गई है सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रातः काल सिटी नल पर सिंघई धर्मशाला में एवं शोभायात्रा के पश्चात

पारस पैलेस में अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंघई ने सभी श्रद्धालुओं से शोभायात्रा में परंपरागत वेशभूषा में सम्मिलित होने की अपील की है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 2624 वर्ष पूर्व बिहार

के कुंडलपुर ग्राम मंभ क्षत्रिय परिवार में हुआ था 30 वर्ष की आयु में राज्य वैभव को त्याग कर सत्यास धारण किया था 13 वर्ष की कठोर तप के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म उपदेश दिए थे।

कल से नपा कर्मचारी संघों की संयुक्त कामबंद हड़ताल

दमोह। नगर पालिका कर्मचारी संघों द्वारा काम बंद हड़ताल की जाएगी जिसमें सामान्य एवं सफाई कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह हड़ताल आयोजित होगी जिसको लेकर संघ के पदाधिकारियों ने एक जापन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम दिया। जानकारी देते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ अध्यक्ष राकेश जैन इकाई अध्यक्ष यशवंत सिंह मजदूर संघ अध्यक्ष सुनील कर्सेनिया प्रभात (चंकी) कछवाहा प्रदेश महामंत्री मजदूर संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर 9 दिसंबर 2024 से हड़ताल की थी जो कि 10 दिसंबर तक चली थी जिसमें जिला प्रशासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया था परंतु आज दिनांक तक किसी भी समस्या या मांग का निराकरण नहीं हुआ न ही सकारात्मक जवाब दिया गया अब सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से कल 11 अप्रैल से अपनी उचित मांगों को लेकर कामबंद हड़ताल पर जाएंगे जिसकी समस्त जवाबदेही जिला प्रशासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।

संविधान का अमृत महोत्सव पर हुआ सेमिनार



दमोह। संविधान के अमृत महोत्सव पर रमेश संविधान मेरा स्वाभिमानर विषय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्राचार्य डॉ अलोक जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉ अलोक जैन ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वह नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित होकर न केवल अध्ययन करें बल्कि शासन के द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं का भी उपभोग करें। कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता और संयोजक डॉ इन्दिरा जैन ने संविधान की मूल आत्मा उसकी भावना, उद्देश्य, उसके लक्ष्य, और उसमें किए गए नागरिक और व्यक्तियों के लिए प्रावधान पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसमें हर नागरिक और व्यक्ति को प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित तीन शब्द अंगीकृत अधिनिश्चित और आत्मअर्पित में से अंतिम शब्द आत्मअर्पित होना अभी बाकी है। डॉ एन आर सुमन ने कहा कि संविधान अपरिपक्व नहीं परिपक्व सर्वोच्च विधान है। इसकी सफलता इसी बात में है कि आज तक हमारे देश में संविधान, विधि, विधान, शासन प्रशासन के खिलाफ कोई क्रांति नहीं हुई। संविधान के लचीलेपन ने सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल हर चीज को समाहित किया है। शासकीय आदर्श महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ कीर्ति काम दुबे ने कहा कि संविधान हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है पर हम जितने लालायित अधिकारों के लिए दिखाई देते हैं उतना ही कर्तव्यों के प्रति होना अनिवाय है। संस्कृत के सहायक प्राध्यापक जितेंद्र धाकड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्मशास्त्र पहले आये संविधान बाद में पर संविधान में सभी धर्म ग्रन्थों, हमारी संस्कृति और सभ्यता को समाहित किया गया है। धीरज जांसन ने चार आश्रमों की बात कही उन्होंने कहा कि मैं तो वानप्रस्थ की ओर हूँ पर आप विद्यार्थी ब्रह्मचर्य में है क्या आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, यह चिंतन का विषय है। डॉ सिकंदर डुलगाज ने कहा कि संविधान सिर्फ लोकतंत्र की ही नहीं हम सभी की आत्मा है। हमारी रक्त वाहिनी है संजीवनी है। संविधान सभा में अतिशय मंथन के बाद यह अमृत देश को प्राप्त हुआ है। इस दौरान राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी निधि मिश्रा, सारिका पाठक, मोहिनी पटेल, अनुप्रिया सिंह राजपूत, हीरा अहिवाल, प्रशांत पटेल, श्रेया सोनी, अनुराग पटेलिया, श्री राम अहीवाल, दीपक चौधरी, निशांत मेहरा, अनमोल जैन, और शिवा पाठक ने भी भारतीय संविधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉ अनिल जैन ने किया।

खेलते समय छत से गिरने से डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत

तेन्दूखेड़ा। बुधवार को तेन्दूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंडरई में सुबह 8 बजे एक डेढ़ साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते छत से नीचे जा गिरा और उसकी मौत पर ही मौत हो गई। जिस कारण पूरे परिवार में हड़कंप मच गया अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत पर मां का बुरा हाल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार बुधवार की सुबह ग्राम पिंडरई में कुलदीप पिता बृजेश पाल का डेढ़ साल का मासूम सुबह सो कर उठा और खेलते खेलते छत पर आ गया और पता ही नहीं चला कब वह नीचे गिर गया और मौत के गाल में समा गया। जब तक मां उसके पास पहुंची तब तक उसकी मौत हो गई लेकिन परिजन मासूम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई जहां पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

फर्जी डॉक्टर से पूछताछ में सामने आ रहे चौकाने वाले खुलासे, डिग्री व सर्टिफिकेट की हो रही जांच



हरिभूमि न्यूज | दमोह

पुलिस रिमांड पर लिये गये चर्चित फर्जी डॉक्टर एनजान कैम (नरेन्द्र यादव) मामले में पूछताछ के दौरान चौकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पूरा मामला फर्जीवाड़ा प्रतीत हो रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा जो एमडी की व जो अन्य डिग्रियां हैं वह फर्जी प्रतीत हो रही हैं। इनमें एक पांडेचेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री जिसमें चांसलर के रूप में तत्काली राष्ट्रपति के सिग्नेचर है, वह भी किसी अन्य के प्रतीत हो रहे हैं। पूछताछ के दौरान के व्यक्ति ने विदेश में कुछ पढ़ाई करने के दस्तावेज, सर्टिफिकेट दिये हैं जिनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया उक्त दस्तावेज भी कूटरचित ही प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस लगातार पूछता कर रही है जिसमें आगे भी चौकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच करके लौटी

दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम 07 अप्रैल को प्रातः लगभग 11 बजे आई थी और आज नौ तारीख को लगभग प्रातः 11 बजे आज टीम रवाना हुई है। टीम 2 दिन यहाँ पर रही है और उन्होंने जिस प्रकार की जांच पूछताछ करनी थी और तथ्यों को इकट्ठा करना था उन्होंने किया है। सन को और से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के जो.जो उन्होंने जानकारियां मांगी गईं उपलब्ध कराई गईं। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा अब आगे की जांच और निष्कर्ष के बारे में इस समय कुछ भी कहना न तो संभव है न उचित है और मुझे लगता है कि अब हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अस्पताल प्रबंधन बोला: मरीजों के हितार्थ अस्पताल में बुलाया था कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ भी धोखा

दमोह। मिशन अस्पताल प्रबंधन श्रीमती पुष्पा खरे ने बताया कि बीते लगभग 30 वर्षों से संचालित दमोह का मिशन अस्पताल जो नगर व जिले वासियों की निरंतर सेवा भाव से इलाज करता आ रहा है। जिले वासियों को दूर ना जाना पड़े इलाज के लिए इसी मकसद से वो सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गईं। जिसमें जिले में लोगों की सुविधाओं के लिए इकलौती कैथलेब मशीन बुलवाई ताकि कम दामों में दमोह वासियों को भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सुविधा दमोह में ही मिल सके इसके लिए डॉक्टर के प्लेसमेंट के लिए बनी मध्यप्रदेश शासन की मान्यता प्राप्त एजेंसी इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन लिमिटेड द्वारा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आया जिसका प्रतिमाह 8 लाख रुपये मिशन अस्पताल देता रहा। डॉक्टर और उतना ही उस एजेंसी को

जिसने डॉक्टर उपलब्ध कराया लेकिन डॉक्टर उपलब्ध करने वाली संस्था ने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेन्द्र यादव नाम के व्यक्ति को भेजकर मिशन अस्पताल के साथ छलावा एवं धोखाधड़ी की जिसकी शिकायत खुद मिशन अस्पताल प्रबंधन ने भीपाल में दर्ज कराई यह बात अस्पताल प्रशासन की ओर से सामने आई। मिशन अस्पताल प्रबंधन का यह भी मानना है कि जब शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हम लोगों को फर्जी डॉक्टर मिलेंगे तो कार्यवाही भी ऐसी संस्थाओं के खिलाफ होनी चाहिए। जबकी मिशन अस्पताल का संचालन 30 वर्षों से लोगों की सेवा के लिए किया जा रहा है। कोविड काल में जब लोगों के जीवन पर कोरोना का संकट आया तब ऐसी परिस्थिति में पहला ऑक्सीजन प्लांट मिशन अस्पताल ने ही जिले वासियों के

लिए समर्पित किया था। नासिफ ऑक्सीजन प्लांट बल्कि पूरा अस्पताल कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया था इसके अलावा जब कहीं डायलिसिस मशीन नहीं थीं दमोह के लोगों को सागर या अन्य बड़े शहरों में अपने परिजनों के लिए परेशान होना पड़ता था वो डायलिसिस मशीनों भी उपलब्ध कराई गईं एक नहीं अनेक डायलिसिस मशीनों की सुविधाएं दमोह जिले वासियों के लिए दी गईं जबकि जिले भर में यह सुविधा कहीं नहीं। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि सभी डॉक्टर मिलेंगे तो कार्यवाही भी ऐसे संस्थाओं के खिलाफ होनी चाहिए। जबकी मिशन अस्पताल का संचालन 30 वर्षों से लोगों की सेवा के लिए किया जा रहा है। कोविड काल में जब लोगों के जीवन पर कोरोना का संकट आया तब ऐसी परिस्थिति में पहला ऑक्सीजन प्लांट मिशन अस्पताल ने ही जिले वासियों के

कार्यालय नगरपालिका परिषद दमोह, जिला-दमोह (म.प्र.)					
स्टेशन रोड, जिला-दमोह (म.प्र.) - 470661					
फोन नम्बर 07812-222068 E-mail:-cmomodah@mpurban.gov.in					
पत्र क्र./ लो.नि.शा./न.पा./2025/37	ई-निविदा सूचना	दमोह, दिनांक. 7/04/2025			
एतद द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन ई-निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति के अंतर्गत www.mptenders.gov.in पर Key Date and time अनुसार आमंत्रित की जाती है।					
ई-टेंडर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रारंभ का मूय	निविदा की अंतिम तिथि
2025_UAD_415806_1	(विधायक निधि) सिविल वर्क नं.03 में विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्य जैसे अतिरिक्त कक्ष, मंच एवं टीन शेड, आगनवाड़ी की मरम्मत एवं चबूतरा निर्माण कार्य।	5.81 लाख	6000/-	2000/-	10/05/2025
2025_UAD_415381_1	(विधायक निधि) सिविल वर्क नं.05 में नाली, पेवर ब्लॉक एवं सिविल वर्क 06 में जालीकृत बाउंड्रीवाल, लाईट का कार्य।	4.22 लाख	4500/-	2000/-	10/05/2025
2025_UAD_415519_1	(विधायक निधि) मार्गज वर्क नं.04 में मुक्तीबाबा घाम में चबूतरा निर्माण कार्य।	1.70 लाख	2000/-	2000/-	10/05/2025
2025_UAD_415425_1	(विधायक निधि) मार्गज वर्क नं. 01 में सीसी रोड एवं हटा नाका मुक्तिघाम में सीसी रोड निर्माण कार्य।	4.10 लाख	4500/-	2000/-	10/05/2025
2025_UAD_415523_1	(विधायक निधि) नया बाजार 05 में हरिजन धर्मशाला निर्माण, नया बाजार 04 में बलराम जाटव से राजेश अहिवाल तक सीसी रोड निर्माण, नया बाजार 01 में तमरयाई कुआ से मंदू लटरी तक सीसी रोड निर्माण, नया बाजार 01 में चबूतरा एवं आर. सीसी रोड निर्माण कार्य।	8.52 लाख	9000/-	2000/-	10/05/2025

नोट :- 1. निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन www.mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा, प्रथम से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद दमोह

भगवान महावीर स्वामी हार्दिक शुभकामनायें

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

विजय श्री आयटन स्टोर्स

स्टेशन रोड दमोह, सागर रोड दमोह

कामधेनु सरिया, गार्डर पाइप, कटीला तार, सीमेंट, हार्डवेयर, संबंधी सामग्री केथोक व फुटकर विक्रेता

अहिंसा परमो धर्म:

प्रतिष्वहन : **विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, दमोह**
लक्ष्मी ट्रेडर्स, दमोह
जैन ट्रेडर्स, दमोह
महावीर मशीनरी स्टोर्स, दमोह
विजय टिंटर्स, दमोह

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

सुरेश जैन अध्यक्ष नप तेदूखेड़ा
सत्येंद्र जैन अध्यक्ष प्रतिनिधि शासक टेकवार तेदूखेड़ा

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म:

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

कमलेश जैन

सरपंच, ग्राम पंचायत बमनपुरा जनपद पंचायत पटेरा, जिला दमोह

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म:

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

राजेन्द्र कुमार जैन सरपंच प्रतिनिधि
अंगूरी बाई जैन सरपंच

ग्राम पंचायत सातसकवली, जप तेंदूखेड़ा जिला दमोह

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म:

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

अपेंद्र जैन सचिव

ग्राम पंचायत बोरिया, जनपद पंचायत तेदूखेड़ा

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म:

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

विशाल रजक समाचार एवं विज्ञापन के लिये संपर्क करें 9630278207, 8305716788

पंडा भागीरथ रजक रजक समाज अध्यक्ष तेदूखेड़ा

सत्य, अहिंसा, तप व त्याग के शाश्वत प्रतीक

भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म:

की जन्म जयंती पर समस्त जिला वासियों को

हार्दिक शुभकामनायें

भगवान महावीर का संदेश **जियो और जीने दो**

शुभम जैन

भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेदूखेड़ा